प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
फर्रूखाबाद।

सेवा में,

1. जिला विकास अधिकारी,
फर्रूखाबाद।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी,
फर्रूखाबाद।

पत्रांक– मु0चि0अ0 / एन0टी0सी0पी0 / 2020 / दिनांक– 04/07 जून, 2020

विशयः– कोविड–19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु पंचायत स्तर की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपभोग एवं थूकने पर प्रतिबंध लगाये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि देश में कोविड–19 वैश्विक महामारी का प्रसार बढ़ रहा है एवं इस महामारी से सम्पूर्ण विश्व ग्रसित है। इसके संक्रमण के खतरों को देखते एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्र को किये गये अपने संबोधन में व्यक्त किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित होना चाहिए। इसके रोकथाम के समय–समय पर केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे है, जिसमे तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग बिक्री एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

आपको अवगत कराना है कि धूम्रपान मसाला, गुटखा और अन्य तम्बाकू उत्पाद स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने के साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं तथा थूकने को प्रेरित करते है, जिससे कोविड–19 संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ता है।

उक्त के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश– 786 / तीन–18–06(9)18 दिनांक– 12 अक्टूबर 2018, महानिदेशालय के पत्र संख्या– राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 8375, दिनांक– 13.04. 2020 एवं पत्र संख्या– राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 8388, दिनांक– 11.05..2020 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णत प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्ध करने के निर्देश दिये जा चुके है।

अतः कोरोना महामारी (कोविड–19 संक्रमण) को ध्यान में रखते हुए आपसे आपेक्षित किया जाता है कि आप अपने समस्त जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचयतो की बैठक में धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी आदि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के उपयोग तथा पान–मसाला गुटखा इत्यादि खाकर थूकने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

नोट– पान–मसाला गुटखा, तम्बाकू खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से (कोविड–19) संक्रमण का खतरा बढ़ता है।

भवदीय,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
फर्रूखाबाद।

पत्रांक व दिनाक उक्त– 1045-4

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
4. नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम, फर्रूखाबाद।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
फर्रूखाबाद।